



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052026-272356
CG-DL-E-08052026-272356

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2214]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 7, 2026/वैशाख 17, 1948

No. 2214]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 7, 2026/VAISAKHA 17, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2026

का.आ. 2305(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, राष्ट्रीय राजमार्ग 35 के 77.60 किमी (प्रमुखपुल), 92.85 किमी (प्रमुखपुल) और 97.02 किमी (लघुपुल) पर 2 प्रमुख पुलों और 1 लघु पुल का पुनर्निर्माण, उत्तर प्रदेश राज्य में पेव्ड शोल्डर के साथ दो/ चार लेन पुलों के पुनर्निर्माण हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-35 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	अपर उपजिलाधिकारी कर्वी, चित्रकूट	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH35 के कि.मी 77.4 से कि.मी 97.22 तक	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	कर्वी	1 कल्ला 2 भाँगा 3 बैहार 4 खुटहा 5 भंभई 6 शिवरामपुर

[फा. सं. NH-35-UP-2025-26-780]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2026

S.O. 2305(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Reconstruction 02 nos. Major Bridge and 01 no. Minor Bridge at km 77.60 (Major Bridge), km 92.85 (Major Bridge) and km 97.02 (Minor Bridge) of NH 35 in the District Chitrakoot in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH35 in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	ASDM, Karwi Chitrakoot	NH35 KM 77.4 TO KM 97.22	UTTAR PRADESH	CHITRAKOOT	Karwi	1 Kalla 2 Bhanga 3 Baihar 4 Khutaha 5 Bhambhai 6 Shivrampur

[F. No. NH-35-UP-2025-26-780]

SHAIKH AMINKHAN, Director